

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौडगढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा सिविल 2025 कैम्प स्थल - शांतिघाट)



धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 226/25

दापर दिनांक 27.9.2025

निर्णय दिनांक 27.09.2025

क्र.सं.	नाम-प्राप्त	ज्ञान	रिपोर्ट	कामलम उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	शैलिया	333	<p>नरेंद्र दत्त जी, निवेदन है कि नृनाइक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया में नर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नरेंद्र दत्त कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्राविष्टी</p> <p>रुद्र प्राविष्टी</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया</p>	<p>तहसीलदार कपासन को अनुसंधान स्वीकार की जाकर राज. प्र.सा.अधि.1956 की धारा 136 के अधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में नाम शांतिघाट प.इ. शांतिघाट खालास 333 में वर्तमान प्राविष्टी स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अनुरोध दसमद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p>

प्रतिनिधि पालनार्थ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल शांतिघाट को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदसमद करें। कपासन जिला-चितौडगढ

तहसीलदार कपासन

(उपखण्ड अधिकारी)